राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर आर0ए0एस0

दमा संख्या :– 145/2026 ग्रा0फ़

1. मन्जूदेवी प0 मैरूलाल सैनी – निवासी बिलपुर – तहसील करेडा

प्रार्थी........

बनाम

1. सम्पतलाल पि0 भंवरलाल माली नि0 बिलपुर – तह0 करेडा – भी0

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 8/4/26

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम बिलपुर... पटवार हल्का बिलपुर... तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त तों की खाता संख्या 190 आराजी नम्बर 4263/2951 /

..... कुल किता 1 रकबा 0.5059
टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 8/4/26 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी राने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी ने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... बिलपुर .... पटवार हल्का बिलपुर .... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 0 आराजी नम्बर 4263/2951 /

......कुल किता 1 .... रकबा 0.5059
. हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–भेलेख निरीक्षक जालरिया ....को 450 ..../– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की जूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

ग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाडा

तिलिपि :– तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाडा